संख्या-111/2018/3979 ई-2/तेरह-2018-382/99

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 20 दिसम्बर,2018

विषय:-मेसर्स लाईस डिस्टीलरी लि0, नन्दगंज, जनपद गाजीपुर में स्थापित 49.50 के0एल0पी0डी0 क्षमता के वर्तमान प्लान्ट को डिसमेन्टल करके उसके स्थान पर नये 330 दिनों तक परिचालन के लिये 120 के0एल0पी0डी0 ग्रेन/शीरा आधारित आसवनी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-57/दो-प्रा0डी0-190/लाईस आसवनी/ग्रेन, दिनांक 20 अगस्त, 2018 तथा पत्र संख्या-जी-80/दो-प्रा0डी0-190/लाईस आसवनी/ग्रेन, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29-11-2018 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-3807 ई-2/ तेरह-2018-382/99, दिनांक 04 दिसम्बर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में शासनादेश दिनांक 13.07.2017 द्वारा मेसर्स लाईस डिस्टीलरी लि0, गाजीपुर को उनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 600 लाख ली0 के अन्तर्गत शीरे पर आधारित प्लान्ट को हटाकर पेय मदिरा के निर्माण हेतु 58 किली0 प्रतिदिन अर्थात 174 लाख ली0 प्रतिवर्ष क्षमता की अनाज आधारित ई0एन0ए0 प्लान्ट की स्थापना करने तथा वर्तमान में स्थित प्लान्ट को डिस्मेन्टल करके अनाज पर आधारित आसवनी की स्थापना हो जाने की अवधि के मध्य राज्य में स्थापित अन्य आसवनियों से ई0एन0ए0 क्रय करके देशी मदिरा का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त शासनादेश द्वारा दी गयी अनुमति को परिवर्तित करते हुये उसके स्थान पर 50 किली0 प्रतिदिन क्षमता के ग्रेन आधारित प्लान्ट से ई0एन0ए0 एवं 70 किली0 प्रतिदिन शीरा आधारित प्लान्ट, जिसमें आसवनी द्वारा प्रस्तावित क्षमता के अन्तर्गत ग्रेन प्लान्ट की सम्पूर्ण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्षमता अर्थात 50 किली0 प्रतिदिन तथा शीरे पर आधारित प्लान्ट की क्षमता 70 किली0 प्रतिदिन का 80 प्रतिशत, 56 किली0 प्रतिदिन क्षमता अर्थात सम्पूर्ण क्षमता 120 किली0 प्रतिदिन के अन्तर्गत 106 किली0 पेय क्षमता के रूप में प्रयोग किये जाने, वर्ष में 330 कार्यदिवस तक संचालित कर बाजार की मांग के अनुसार ई0एन0ए0/रेक्टीफाइड स्प्रिट/एथनाल/विकृत एल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किये जाने हेतु प्लान्ट स्थापित करने तथा वर्तमान में स्थापित प्लान्ट को डिस्मेन्टल करके अनाज/शीरे पर आधारित प्लान्टों की स्थापना हो जाने की अवधि के मध्य राज्य में स्थापित अन्य आसवनियों से ई0एन0ए0 क्रय करके देशी मदिरा का निर्माण किये जाने की अनुमति संगत शासनादेशों के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने की तिथि से 02 वर्ष के भीतर इकाई द्वारा आसवनी की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/-

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।